

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी:—(दिव्या) RAS

प्रकरण संख्या:—67 / 2024

वाद पत्र अन्तर्गत धारा:— 88, 53 आर.टी.ए.

1. घनश्याम पुत्र उदाराम जाति स्वामी निवासी हाउस नं. 27, स्टार सिटी, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़
2. बंशीलाल पुत्र उदाराम जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 4, वीपीओ—रोड़ावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़
3. लक्ष्मण राम पुत्र उदाराम जाति स्वामी निवासी गोल्डन सिटी, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़
4. जगदीश पुत्र उदाराम जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 4, वीपीओ—रोड़ावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़

— वादीगण

बनाम्

1. टेकचंद पुत्र हसंराज जाति अग्रवाल निवासी दुकान नं. 60, नई मण्डी, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़
2. मनोहरी देवी पत्नी दुनीराम जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 4, वीपीओ—रोड़ावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़
3. श्याम सुन्दर पुत्र दुनीराम जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 4, वीपीओ—रोड़ावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़
4. कमला देवी पुत्री दुनीराम जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 4, वीपीओ—रोड़ावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़
5. शिव कुमार पुत्र दुनीराम जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 4, वीपीओ—रोड़ावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़
6. परमेश्वरी स्वामी पत्नी सुरेश कुमार जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 4, वीपीओ—रोड़ावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़
7. कौशल्या स्वामी पुत्री सुरेश कुमार जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 4, वीपीओ—रोड़ावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़
8. दिव्या पुत्री सुरेश जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 4, वीपीओ—रोड़ावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़
9. रतनलाल स्वामी पुत्र छगनलाल जाति स्वामी निवासी मकान नं. 4, सुडा कॉलोनी, वैदिक कॉलेज के पास, रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
10. आशीष कुमार स्वामी पुत्र रतनलाल जाति स्वामी निवासी मकान नं. 4, सुडा कॉलोनी, वैदिक कॉलेज के पास, रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
11. आंचल स्वामी पुत्री रतनलाल जाति स्वामी निवासी मकान नं. 4, सुडा कॉलोनी, वैदिक कॉलेज के पास, रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
12. आकाश स्वामी पुत्र रतनलाल जाति स्वामी निवासी मकान नं. 4, सुडा कॉलोनी, वैदिक कॉलेज के पास, रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
13. आत्माराम पुत्र उदाराम जाति स्वामी निवासी लीला चौक, पुरानी आबादी श्रीगंगानगर तहसील श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर
14. मोहनलाल पुत्र मूलदास जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 10, रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़
15. जमनादेवी पत्नी रामकरण जाति जाट निवासी वार्ड नं. 4, रोड़ावाली तह0 व जिला हनुमानगढ़
16. रामप्रताप पुत्र रामकरण जाति जाट नि. वार्ड नं. 4, रोड़ावाली तह0 व जिला हनुमानगढ़
17. गोवर्धन पुत्र रामकरण जाति जाट नि. वार्ड नं. 4, रोड़ावाली तह0 व जिला हनुमानगढ़
18. गोमती देवी पुत्री रामकरण जाति जाट नि. वार्ड नं. 4, रोड़ावाली तह0 व जिला हनुमानगढ़
19. मुन्नी देवी पुत्री रामकरण जाति जाट नि. वार्ड नं. 4, रोड़ावाली तह0 व जिला हनुमानगढ़
20. राममूर्ति देवी पुत्री रामकरण जाति जाट नि. वार्ड नं. 4, रोड़ावाली तह0 व जिला हनुमानगढ़
21. कृष्णादेवी पुत्री रामकरण जाति जाट नि. वार्ड नं. 4, रोड़ावाली तह0 व जिला हनुमानगढ़
22. कृष्णादेवी पत्नी प्रहलाद जाति जाट नि. वार्ड नं. 4, रोड़ावाली तह0 जिला हनुमानगढ़
23. पुनित पुत्र प्रहलाद जाति जाट नि. वार्ड नं. 4, रोड़ावाली तह0 व जिला हनुमानगढ़
24. भावना पुत्री प्रहलाद जाति जाट निवासी नि. वार्ड नं. 4, रोड़ावाली तह0 जिला हनुमानगढ़
25. दयावंती पुत्री प्रहलाद जाति जाट नि. वार्ड नं. 4, रोड़ावाली तह0 व जिला हनुमानगढ़
26. मीरादेवी पुत्री प्रहलाद जाति जाट नि. वार्ड नं. 4, रोड़ावाली तह0 व जिला हनुमानगढ़

27. विमला देवी पुत्री प्रहलाद जाति जाट नि. वार्ड नं. 4, रोड़ावाली तह0 जिला हनुमानगढ़
28. अमिता पुत्री प्रहलाद जाति जाट नि. वार्ड नं. 4, रोड़ावाली तह0 व जिला हनुमानगढ़
29. विजय लक्ष्मी पुत्री प्रहलाद जाति जाट नि. वार्ड नं. 4, रोड़ावाली तह0 जिला हनुमानगढ़
30. ममता पुत्री प्रहलाद जाति जाट नि. वार्ड नं. 4, रोड़ावाली तह0 व जिला हनुमानगढ़
31. लक्ष्मी पुत्री प्रहलाद जाति जाट नि. वार्ड नं. 4, रोड़ावाली तह0 व जिला हनुमानगढ़
32. ललिता पुत्री प्रहलाद जाति जाट नि. वार्ड नं. 4, रोड़ावाली तह0 व जिला हनुमानगढ़
33. रामचन्द्र पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी वार्ड नं. 4, रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़
34. रामनिवास पुत्र देवीदान उर्फ देवीलाल जाति जाट निवासी वार्ड नं. 6, रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़
35. राज कवर पत्नी सुलतान जाति जाट नि. वार्ड नं. 5, रोड़ावाली तह. व जिला हनुमानगढ़
36. मोहन सिंह पुत्र सुलतान जाति जाट नि. वार्ड नं. 5, रोड़ावाली तह. व जिला हनुमानगढ़
37. सोहन सिंह पुत्र सुलतान जाति जाट नि. वार्ड नं. 5, रोड़ावाली तह. व जिला हनुमानगढ़
38. नीलम कवर पुत्री सुलतान जाति जाट नि. वार्ड नं. 5, रोड़ावाली तह. व जिला हनुमानगढ़
39. मंजू कवर पुत्री सुलतान जाति जाट नि. वार्ड नं. 5, रोड़ावाली तह. व जिला हनुमानगढ़
40. विमलेश कवर पुत्री सुलतान जाति जाट निवासी वार्ड नं. 5, रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़
41. इन्स्टीट्यूशन ऑफ सिविल इन्जीनियर्स सोसायटी बिन्द्रकॉम पलैक्स मॉडल टाऊन, लुधियाना (पजाब) C/o मनोहर लाल पुत्र हरलाल जाति स्वामी निवासी मकान नं. 46, विनय वाटिका के पास, से.नं. 9/1, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़
42. मनोहर लाल पुत्र हरलाल जाति स्वामी निवासी मकान नं. 46, विनय वाटिका के पास, से.नं. 9/1, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़
43. राकेश बिश्नोई पुत्र कृष्णलाल जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं. 6, रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़
44. सागर पुत्र पालाराम जाति लुहार निवासी वार्ड नं. 6, रोड़ावाली तह. व जिला हनुमानगढ़
45. सोहनलाल स्वामी पुत्र हरलाल स्वामी जाति स्वामी मकान नं. 46, विनय वाटिका के पास, सै.नं. 9/1, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़
46. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़
47. पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा कृषि उपज मण्डी, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :-


1. श्री देवदत्त भीडासरा – अधिवक्ता वादीगण
2. श्री आशीष भीडासरा सं. 1 ता 4, 8, 10 ता 15, 17, 22 ता 25, 33, 34, 37, 41 ता 44
3. राज पैरोकार प्रतिवादी सं. 46

—:निर्णय:-

दिनांक

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि यह कि जहां तक दावा हाजा का सम्बन्ध है, वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 13 का सजरा खानदान निम्न प्रकार है:-

उदाराम



1. यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 13 के नाम से चक-4 आर.आर.डब्ल्यू खाता सं. 70/72 में प्रतिवादी सं. 1 के साथ संयुक्त खाता में कुल 1.2650 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, तपसील आराजी निम्न प्रकार से है:-

चक नं.	प.नं.	मु.नं.	किला नं.
4 आरआरडब्ल्यू खाता सं. 70/72	124/237	44	16/1/.228, 16/2/.025,
	124/239	58	10, 11, 20, 21 1.2650 हैक्टेयर

नकल जमाबंदी चक-4 आर.आर.डब्ल्यू खाता सं. 70/72 सम्वत् 2077-2080 संलग्न वाद-पत्र है।

2. यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 13 के नाम से प्रतिवादी सं. 14 मोहनलाल व प्रतिवादी सं. 15 ता 32 के पूर्वज रामकरण पुत्र सेवाराम व प्रतिवादी सं. 33, 34 एवं प्रतिवादी सं. 35 ता 40 के पूर्वज सुलतान पुत्र करणी सिंह के नाम से चक-4 आर.आर.डब्ल्यू के खाता सं. 179/165 में कुल 1.4120 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खाता में दर्ज है, तपसील आराजी निम्न प्रकार से है:-

चक नं.	प.नं.	मु.नं.	किला नं.
4 आरआरडब्ल्यू खाता सं. 179/165	124/233	16	17/2/.1010, 18, 23, 24/3/.173,
	124/237	44	14, 17, 24/1/.126 1.4120 हैक्टेयर

नकल जमाबंदी चक-4 आर.आर.डब्ल्यू के खाता सं. 179/165 सम्वत् 2077-2080 संलग्न वाद-पत्र है।

3. यह कि वादीगण सं. 1 ता 3 एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 13 एवं प्रतिवादी सं. 41 ता 45 के नाम से चक-4 आर.आर.डब्ल्यू के खाता सं. 263/205 में संयुक्त खाता में कुल 6.3380 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, तपसील आराजी निम्न प्रकार से है:-

चक नं.	प.नं.	मु.नं.	किला नं.
4 आरआरडब्ल्यू खाता सं. 263/205	123/237	45	14/1/.013, 16/1/.228, 16/2/.025, 25/1/.228, 25/2/.025
	123/238	52	5/1/.228, 5/2/.025, 6/1/.228, 6/2/.025,
	124/237	44	1, 2, 3, 8 ता 13, 18 ता 23
	124/238	53	1/1/.228, 1/2/.025, 2/1/.228, 2/2/.025, 3/1/.228, 3/2/.025, 8 ता 10, 6.338 हैक्टेयर

नकल जमाबंदी चक-4 आर.आर.डब्ल्यू खाता सं. 263/205 सम्वत् 2077-2080 संलग्न वाद-पत्र है।

4. यह कि वाद-पत्र की चरण सं. 3, 4, 5 में वर्णित भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 ता 13 की संयुक्त खाता की भूमि है। उक्त भूमि में सहकाशतकार स्वर्गीय रामकरण पुत्र सेवाराम का देहान्त हो चुका है, जिसके जायज व विधिक वारिस प्रतिवादी सं. 15 ता 32 है। इसलिये स्वर्गीय रामकरण व हिस्सा व कब्जा की भूमि प्रतिवादी सं. 15 ता 32 के कब्जाकाशत में है। संयुक्त खाता में सहकाशतकार स्वर्गीय सुलतान पुत्र करणी सिंह का भी देहान्त हो चुका है, जिसके जायज एवं विधिक वारिस प्रतिवादी सं. 35 ता 40 है, स्वर्गीय सुलतान के हिस्सा की भूमि उनके कब्जाकाशत में है, इसलिये स्वर्गीय रामकरण व स्वर्गीय सुलतान के हिस्सा की भूमि का उनके वारिसान को खातेदार घोषित किया जावे।

5. यह कि वाद-पत्र की चरण सं. 3, 4, 5 में वर्णित 9.015 हैक्टेयर भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 13 ने मुताबिक हक हिस्सा अपनी सहमति से अन्य प्रतिवादीगण से घरा-घरू बंटवारा कर रखा है व बंटवारा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 13 निम्न प्रकार से भूमि पर काबिज होकर काशत कर रहे हैं:-

(क) वाद-पत्र की चरण सं. 3 व 4 में वर्णित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 13 निम्न प्रकार से काबिज है:-

चक नं.	प.नं.	मु.नं.	किला नं.
4 आरआरडब्ल्यू	124/237	44	16/1/.228, 16/2/.025,

खाता सं. 70/72			0.253
4 आरआरडब्ल्यू	124/237	44	14, 17, 24/1/.126
खाता सं. 179/165			0.632

कुल 0.885 हैक्टेयर कृषि भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 13 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा व इसी अनुसार प्रतिवादी सं. 2 ता 12 का 1/6 हिस्सा है व इसी हिस्सा अनुसार घर-घरू बंटवारा कर अपनी-अपनी कृषि भूमि पर कब्जाकाशत कर रहे है।

(ख) वाद-पत्र की चरण सं. 5 में वर्णित भूमि में वादीगण सं. 1 ता 3 एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 13 निम्न प्रकार से काबिज है:-

चक नं.	प.नं.	मु.नं.	किला नं.
4 आरआरडब्ल्यू	124/237	44	18/0.253
खाता सं. 263/205			

कुल 0.253 हैक्टेयर कृषि भूमि पर वादी सं. 1 ता 3 एवं प्रतिवादी सं. 13 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा व इसी अनुसार प्रतिवादी सं. 2 ता 12 का 1/5 हिस्सा है व इसी हिस्सा अनुसार घर-घरू बंटवारा कर अपनी-अपनी कृषि भूमि पर कब्जाकाशत कर रहे है।

(क) व (ख) में वर्णित तीनों खातों का कुल 1.138 हैक्टेयर

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 13 ने वाद-पत्र की चरण सं. 3, 4, 5 की भूमि में मुताबिक हिस्सा घरा-घरू विभाजन कर रखा है व वाद-पत्र की चरण सं. 7 में वर्णित बंटवारा व कब्जाकाशत के अनुसार खाता विभाजन करवाकर रकम राज अलग-अलग करवाने के अधिकारी है। यह कि प्रतिवादी सं. 2 ता 13 का हित वादीगण के समान ही है, जो आज न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उन्हें प्रतिवादी के रूप में संयोजित किया गया है, वे चाहे तो उपरोक्त वाद में वादीगण के रूप में पक्षकार संयोजित हो सकते है, जिसमें वादीगण को कोई आपत्ति नहीं होगी।

यह कि वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 14 ता 46 को कई दफा कहा कि वे मृतक सहकाशतकार की जगह उनके वारिसान का नाम दर्ज करवा ले, एवं घरा-घरू विभाजन के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 13 के कब्जाकाशत के अनुसार खाता अलग कायम करवा ले, पहले तो वे टालमटोल करते रहे, आखिर दिनांक 15.01.2024 को कतई इन्कार हो गये, यही बिनाय मुखास्मत वाद है।

यह कि वाद घोषणा एवं खाता विभाजन का होने के कारण प्रतिवादी सं. 46 को बतौर भू-धारक वाद में पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी सं. 47 के यहां भूमि रहन होने के कारण वाद में उसको पक्षकार बनाया गया है।

यह कि वाद-पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है तथा पूर्ण न्यायशुलक पर अन्दर मियाद पेश है।

लिहाजा वाद-पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद-पत्र बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे:-

(क) कि वादग्रस्त भूमि में मृतक सह-काशतकार स्वर्गीय रामकरण की जगह उनके वारिसान प्रतिवादी सं. 15 ता 32 को एवं मृतक काशतकार स्वर्गीय सुलतान की जगह उनके वारिसान प्रतिवादी सं. 35 ता 40 को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया जावे।

(ख) कि वाद-पत्र की चरण सं. 7 में वर्णित घरा-घरू विभाजन के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 13 को विभाजन में प्राप्त कब्जाकाशत की भूमि का खाता अलग किया जाकर रकम राज अलग अलग कामय की जावे।

(ग) कि अन्य कोई अनुतोष बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण नजदीक अदालत हाजा हो तो दिलाया जावे।

(घ) कि वादी को प्रतिवादीगण में वाद व्यय दिलाया जावे।

≈ वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई प्रतिवादी सं. 1 ता 4, 8, 10 ता 15, 17, 22 ता 25, 33, 34, 37, 41 ता 44 की ओर से अधिवक्ता आशीष भीडासरा ने वकालतनामा व जवाब दावा सहमति का पेश किया। प्रतिवादी सं. 5 ता 7, 9, 16, 18, 19, 20, 21, 26 ता 32, 35, 36, 38, 39, 40, 45 तलबी उपरांत हाजिर नहीं आने के कारण इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 46 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया। वाद पत्र में हाजिर पक्षकारान के मध्य विवाद या विरोधाभास नहीं होने के कारण तनकीयात विरचित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

≈ पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। दौराने बहस वकील उभयपक्ष ने वाद पत्र डिक्री किए जाने का निवेदन किया। पत्रावली अवलोकन करने पर

न्यायालय के मत में दोनों पक्षों में कोई विवाद या विरोधाभास नहीं है इसलिए वादीगण वाद मुताबिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:क्रियात्मक आदेश:—

अतः वाद वादीगण मुताबिक वाद पत्र के अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से किया जाता है कि:—

(क) वाद-पत्र की चरण सं. 3 व 4 में वर्णित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 13 निम्न प्रकार से काबिज है:—

चक नं.	प.नं.	मु.नं.	किला नं.
4 आरआरडब्ल्यू खाता सं. 70/72	124/237	44	16/1/.228, 16/2/.025, 0.253
4 आरआरडब्ल्यू खाता सं. 179/165	124/237	44	14, 17, 24/1/.126 0.632

उक्त कुल 0.885 हैक्टेयर कृषि भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 13 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा व इसी अनुसार प्रतिवादी सं. 2 ता 12 का 1/6 हिस्सा है व इसी हिस्सा अनुसार घर-घरू बंटवारा कर अपनी-अपनी कृषि भूमि पर कब्जाकाश्त कर रहे हैं।

(ख) वाद-पत्र की चरण सं. 5 में वर्णित भूमि में वादीगण सं. 1 ता 3 एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 13 निम्न प्रकार से काबिज है:—

चक नं.	प.नं.	मु.नं.	किला नं.
4 आरआरडब्ल्यू	124/237	44	18/0.253

खाता सं. 263/205

उक्त कुल 0.253 हैक्टेयर कृषि भूमि पर वादी सं. 1 ता 3 एवं प्रतिवादी सं. 13 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा व इसी अनुसार प्रतिवादी सं. 2 ता 12 का 1/5 हिस्सा है व इसी हिस्सा अनुसार घरा-घरू बंटवारा कर अपनी-अपनी कृषि भूमि पर कब्जाकाश्त कर रहे हैं। उक्त वर्णित तीनों खातों का कुल 1.138 हैक्टेयर का उक्तानुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग अलग कर रकम राज अलग कायमी के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी कर लगाम कायम किया जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फ़ैसल शुमार कर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

नोट:— यदि निर्णित आराजी बैंक रहन हो तो, रहन मुक्त होने के उपरांत निर्णय की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी:-(दिव्या) RAS

प्रकरण संख्या:-067 / 2024

वाद पत्र अन्तर्गत धारा:- 88, 53 आर.टी.ए.

1. घनश्याम पुत्र उदाराम जाति स्वामी निवासी हाउस नं. 27, स्टार सिटी, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़
2. बंशीलाल पुत्र उदाराम जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 4, वीपीओ-रोड़ावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़
3. लक्ष्मण राम पुत्र उदाराम जाति स्वामी निवासी गोल्डन सिटी, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़
4. जगदीश पुत्र उदाराम जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 4, वीपीओ-रोड़ावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़

- वादीगण

बनाम्

1. टेकचंद पुत्र हसंराज जाति अग्रवाल निवासी दुकान नं. 60, नई मण्डी, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़
2. मनोहरी देवी पत्नी दुनीराम जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 4, वीपीओ-रोड़ावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़
3. श्याम सुन्दर पुत्र दुनीराम जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 4, वीपीओ-रोड़ावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़
4. कमला देवी पुत्री दुनीराम जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 4, वीपीओ-रोड़ावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़
5. शिव कुमार पुत्र दुनीराम जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 4, वीपीओ-रोड़ावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़
6. परमेश्वरी स्वामी पत्नी सुरेश कुमार जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 4, वीपीओ-रोड़ावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़
7. कौशल्या स्वामी पुत्री सुरेश कुमार जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 4, वीपीओ-रोड़ावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़
8. दिव्या पुत्री सुरेश जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 4, वीपीओ-रोड़ावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़
9. रतनलाल स्वामी पुत्र छगनलाल जाति स्वामी निवासी मकान नं. 4, सुडा कॉलोनी, वैदिक कॉलेज के पास, रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
10. आशीष कुमार स्वामी पुत्र रतनलाल जाति स्वामी निवासी मकान नं. 4, सुडा कॉलोनी, वैदिक कॉलेज के पास, रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
11. आंचल स्वामी पुत्री रतनलाल जाति स्वामी निवासी मकान नं. 4, सुडा कॉलोनी, वैदिक कॉलेज के पास, रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
12. आकाश स्वामी पुत्र रतनलाल जाति स्वामी निवासी मकान नं. 4, सुडा कॉलोनी, वैदिक कॉलेज के पास, रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
13. आत्माराम पुत्र उदाराम जाति स्वामी निवासी लीला चौक, पुरानी आबादी श्रीगंगानगर तहसील श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर
14. मोहनलाल पुत्र मूलदास जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 10, रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़
15. जमनादेवी पत्नी रामकरण जाति जाट निवासी वार्ड नं. 4, रोड़ावाली तह0 व जिला हनुमानगढ़
16. रामप्रताप पुत्र रामकरण जाति जाट नि. वार्ड नं. 4, रोड़ावाली तह0 व जिला हनुमानगढ़
17. गोवर्धन पुत्र रामकरण जाति जाट नि. वार्ड नं. 4, रोड़ावाली तह0 व जिला हनुमानगढ़
18. गोमती देवी पुत्री रामकरण जाति जाट नि. वार्ड नं. 4, रोड़ावाली तह0 व जिला हनुमानगढ़
19. मुन्नी देवी पुत्री रामकरण जाति जाट नि. वार्ड नं. 4, रोड़ावाली तह0 व जिला हनुमानगढ़
20. राममूर्ति देवी पुत्री रामकरण जाति जाट नि. वार्ड नं. 4, रोड़ावाली तह0 व जिला हनुमानगढ़
21. कृष्णादेवी पुत्री रामकरण जाति जाट नि. वार्ड नं. 4, रोड़ावाली तह0 व जिला हनुमानगढ़
22. कृष्णादेवी पत्नी प्रहलाद जाति जाट नि. वार्ड नं. 4, रोड़ावाली तह0 जिला हनुमानगढ़
23. पुनित पुत्र प्रहलाद जाति जाट नि. वार्ड नं. 4, रोड़ावाली तह0 व जिला हनुमानगढ़
24. भावना पुत्री प्रहलाद जाति जाट निवासी नि. वार्ड नं. 4, रोड़ावाली तह0 जिला हनुमानगढ़

25. दयावती पुत्री प्रहलाद जाति जाट नि. वार्ड नं. 4, रोड़ावाली तह0 व जिला हनुमानगढ़
26. मीरादेवी पुत्री प्रहलाद जाति जाट नि. वार्ड नं. 4, रोड़ावाली तह0 व जिला हनुमानगढ़
27. विमला देवी पुत्री प्रहलाद जाति जाट नि. वार्ड नं. 4, रोड़ावाली तह0 जिला हनुमानगढ़
28. अमिता पुत्री प्रहलाद जाति जाट नि. वार्ड नं. 4, रोड़ावाली तह0 व जिला हनुमानगढ़
29. विजय लक्ष्मी पुत्री प्रहलाद जाति जाट नि. वार्ड नं. 4, रोड़ावाली तह0 जिला हनुमानगढ़
30. ममता पुत्री प्रहलाद जाति जाट नि. वार्ड नं. 4, रोड़ावाली तह0 व जिला हनुमानगढ़
31. लक्ष्मी पुत्री प्रहलाद जाति जाट नि. वार्ड नं. 4, रोड़ावाली तह0 व जिला हनुमानगढ़
32. ललिता पुत्री प्रहलाद जाति जाट नि. वार्ड नं. 4, रोड़ावाली तह0 व जिला हनुमानगढ़
33. रामचन्द्र पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी वार्ड नं. 4, रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़
34. रामनिवास पुत्र देवीदान उर्फ देवीलाल जाति जाट निवासी वार्ड नं. 6, रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़
35. राज कवर पत्नी सुलतान जाति जाट नि. वार्ड नं. 5, रोड़ावाली तह. व जिला हनुमानगढ़
36. मोहन सिंह पुत्र सुलतान जाति जाट नि. वार्ड नं. 5, रोड़ावाली तह. व जिला हनुमानगढ़
37. सोहन सिंह पुत्र सुलतान जाति जाट नि. वार्ड नं. 5, रोड़ावाली तह. व जिला हनुमानगढ़
38. नीलम कवर पुत्री सुलतान जाति जाट नि. वार्ड नं. 5, रोड़ावाली तह. व जिला हनुमानगढ़
39. मंजू कवर पुत्री सुलतान जाति जाट नि. वार्ड नं. 5, रोड़ावाली तह. व जिला हनुमानगढ़
40. विमलेश कवर पुत्री सुलतान जाति जाट निवासी वार्ड नं. 5, रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़
41. इन्स्टीट्यूशन ऑफ सिविल इन्जीनियर्स सोसायटी बिन्द्रकॉम पलैक्स मॉडल टारुन, लुधियाना (पजाब) C/o मनोहर लाल पुत्र हरलाल जाति स्वामी निवासी मकान नं. 46, विनय वाटिका के पास, से.नं. 9/1, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़
42. मनोहर लाल पुत्र हरलाल जाति स्वामी निवासी मकान नं. 46, विनय वाटिका के पास, से.नं. 9/1, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़
43. राकेश बिश्नोई पुत्र कृष्णलाल जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं. 6, रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़
44. सागर पुत्र पालाराम जाति लुहार निवासी वार्ड नं. 6, रोड़ावाली तह. व जिला हनुमानगढ़
45. सोहनलाल स्वामी पुत्र हरलाल स्वामी जाति स्वामी मकान नं. 46, विनय वाटिका के पास, से.नं. 9/1, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़
46. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़
47. पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा कृषि उपज मण्डी, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा:- 88, 53 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ दिव्या आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री देवदत्त भीडासरा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री आशीष भीडासरा वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4, 8, 10 ता 15, 17, 22 ता 25, 33, 34, 37, 41 ता 44 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:- (क) वाद-पत्र की चरण सं. 3 व 4 में वर्णित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 13 निम्न प्रकार से काबिज है:-

चक नं.	प.नं.	मु.नं.	किला नं.
4 आरआरडब्ल्यू खाता सं. 70/72	124/237	44	16/1/.228, 16/2/.025, 0.253
4 आरआरडब्ल्यू खाता सं. 179/165	124/237	44	14, 17, 24/1/.126 0.632

उक्त कुल 0.885 हैक्टेयर कृषि भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 13 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा व इसी अनुसार प्रतिवादी सं. 2 ता 12 का 1/6 हिस्सा है व इसी हिस्सा अनुसार घर-घरू बंटवारा कर अपनी-अपनी कृषि भूमि पर कब्जाकाश्त कर रहे है।

(ख) वाद-पत्र की चरण सं. 5 में वर्णित भूमि में वादीगण सं. 1 ता 3 एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 13 निम्न प्रकार से काबिज है:-

चक नं.	प.नं.	मु.नं.	किला नं.
4 आरआरडब्ल्यू खाता सं. 263/205	124/237	44	18/0.253

उक्त कुल 0.253 हैक्टेयर कृषि भूमि पर वादी सं. 1 ता 3 एवं प्रतिवादी सं. 13 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा व इसी अनुसार प्रतिवादी सं. 2 ता 12 का 1/5 हिस्सा है व इसी हिस्सा अनुसार घरा-घरू बंटवारा कर अपनी-अपनी कृषि भूमि पर कब्जाकाश्त कर रहे है। उक्त वर्णित तीनों खातों का कुल 1.138 हैक्टेयर का उक्तानुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग अलग कर रकम राज अलग कायमी के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो, और खातेदार/पक्षकारान का कब्जा काश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार अमलदरामदी कर लगाम कायम किया जावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक XXX अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक को जारी किया गया।
नोट:- डिक्रीत आराजी रहन हो तो, बाद रहन मुक्त के डिक्री का निष्पादन किया जावें।

(दिव्या)RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ